पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 435

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==

जितेंद्र कुमार @जितेंद्र चौधरी @ मिथाइ श्री कृष्ण चौधरी के पुत्र निवासी मोहल्ला- आनंद नगर, आरा, पी.एस.- आरा टाउन, जिला- भोजपुर।

…...अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

…...उत्तरदाता/गण

==

साथ में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 297

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==

मुन्ना तिवारी उमा शंकर तिवारी के पुत्र गाँव के निवासी-बसौरी, थाना संदेश, जिला-भेजपुर, आरा।

…...अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

......उत्तरदाता/गण

===

साथ में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 412

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

===

संतोष कुमार राय @ राजू राय, प्रहलाद राय का पुत्र निवासी- ग्राम- बर्तियार, थाना- संदेश, जिला- भोजपुर, आरा।

......अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य बिहार

......उत्तरदाता/गण

===

भारतीय दंड संहिता की धारा 302

शस्त्र अधिनियम् की धारा 27(1)

अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम् की धारा 27(1) के तहत दिनांक 23.02.2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-11 द्वारा पारित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि तथा दिनांक 03.03.2021 के आदेश द्वारा धारा 302 के लिये आजीवन कारावास तथा 10000/- के जुर्माना देने के लिये तथा धारा 27(1) के शस्त्र अधिनियम् के लिये पाँच साल के अवधि का कारावास के साथ-साथ 10000/- का जुर्माना दिया गया।

मृतक को दो गोली से मारा गया। --- दोनों प्राथमिकी गवाहों में से एक को भी विवेचन में परीक्षण नहीं कराया गया। --- सूचक(पी.डब्लू.-3) का कथन जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है, संदेहात्मक लगता है। --- उसके बाद दो अपीलार्थियों - मुन्ना तिवारी और संतोष राय उर्फ राजू राय का नाम फरदत्यान में नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न होती है।

--- अभियोजन पक्ष की कहानी हालांकि एक चश्मदीद गवाह के ब्यान पर आधारित प्रतीत होती है, लेकिन उस गवाह के ब्यान से गंभीर संदेह पैदा होता है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अस्पष्टीकृत परिस्थितियाँ पैदा हैं, जिन्होंने हमारे मन में एक उचित संदेह पैदा किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के भारी बोझ को पूरी तरह से निर्वहन किया है। ---

अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं हैं। --- इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-11 द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय सजा आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को आरोपों से वरी किया जाता है।

मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 1994 (5) एस.सी.सी.188 को रिफर किया गया।

[पैरा 3, 11, 34, 35 और 39]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 435

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==

जितेंद्र कुमार @जितेंद्र चौधरी @ मिथाइ श्री कृष्ण चौधरी के पुत्र निवासी मोहल्ला- आनंद नगर, आरा, पी.एस.- आरा टाउन, जिला- भोजपुर।

......अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

......उत्तरदाता/गण

==

साथ में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 297

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==

मुन्ना तिवारी उमा शंकर तिवारी के पुत्र गाँव के निवासी-बसौरी, थाना संदेश, जिला-भेजपुर, आरा।

......अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.......उत्तरदाता/गण

==

साथ में

2021 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 412

थाना काड सं.- 253 वर्ष- 2015 थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==

संतोष कुमार राय @ राजू राय, प्रहलाद राय का पुत्र निवासी- ग्राम- बर्तियार, थाना- संदेश, जिला- भोजपुर, आरा।

.......अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य बिहार

.......उत्तरदाता/गण

==

उपस्थिति

(2021 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 435 में)

अपीलार्थीगण के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर

उत्तरदाताओं के लिए: अभिमन्यु शर्मा

(2021 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 297 में)

अपीलार्थीगण के लिए: श्री प्रतीक कुमार

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा

(2021 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 412 में)

अपीलार्थीगण के लिए: श्री हर्ष सिंह

उत्तरदातागण के लिए: श्री अभीमन्यु शर्मा

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी टैगिया

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि: 22-01-2024

1. तीनों अपीलों को एक साथ लिया गया है। और उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. हमने श्री अजय कुमार ठाकुर को सुना है, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी /जितेंद्र कुमार @जितेंद्र चौधरी @ मिथाई के लिए आप० अपील (खंड पीठ) सं. 435/2021; श्री

प्रतीक कुमार, आप० अपील सं० 297/2021 (खंड पीठ) में अपीलार्थी/मुन्ना तिवारी के अधिवक्ता आप० अपील (खंड पीठ) सं. 297/2021 और श्री हर्ष सिंह, अपीलार्थी/संतोष कुमार राय @राजू राय के वकील। श्री अभिमन्यु शर्मा, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक, तीनों अपीलों में राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

3. अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत अपराध, 2015 के आरा टाउन थाना कांड संख्या 253 से उत्पन्न 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 304 में आरा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-11, भोजपुर द्वारा दिनांक 23.02.2024 को पारित निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया है। दिनांकित 03.03.2021 के आदेश द्वारा, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है, भा.द.वि. धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए, और पांच साल की अवधि के लिए कारावास के साथ-साथ 10,000/-रु। शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत अपराध के लिए। सभी सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

4. सूचक (पी.3) के भाई अर्थात मुकेश यादव उर्फ विक्की को अपीलकर्ताओं द्वारा गोली मारने का आरोप लगाया गया है।

5. यह एक उल्लेखनीय मामला है जहाँ अन - पुलिस की आव्यवसायिकता और गवाहों के ढुलमुल और मनगढ़ंत बयानों ने अपीलार्थियों को मुश्किल में डाल दिया है।

6. सूचक/लोकेश यादव (पीडब्लू3) ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसे मामले के आई. ओ. सत्येंद्र कुमार शाही (पी. डब्ल्यू. 5) ने 05.06.2015 को 9.26 बजे दर्ज किया है, में आरोप लगाया गया है कि उसी दिन दोपहर लगभग 2:30 बजे धनंजय पंडित के सैलून में झगड़ा हुआ था, जिसमें अपीलकर्ता/जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ मिठाई और एक मुन्ना सोनार (एक भगोड़ा) ने पूर्वोक्त धनंजय पंडित और उनके बड़े भाई के साथ लड़ाई की थी। लगभग एक घंटे के बाद, अपीलकर्ता/जितेंद्र कुमार @जितेंद्र कुमार चौधरी @मिठाई,

उपरोक्त मुन्ना सोनार और तीन अन्य फिर से धनंजय पंडित के सैलून में आए और पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ पत्थर पी. डब्ल्यू. 3 की मोबाइल दुकान के शटर से टकराए, जिसे 'मोबाइल म्यूजियम' के नाम और शैली के तहत चलाया जा रहा था। पीडब्लू 3 के दो कर्मचारियों, विकास कुमार गुप्ता और सतीश कुमार ने आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके साथ भी बहस हुई। इसके बाद विकास कुमार गुप्ता ने मृतक (मुकेश यादव @विक्की को फोन किया और उसे घटना के बारे में बताया। मृतक पी. डब्ल्यू. 3 और मृतक के चचेरे भाई सनी के साथ मोबाइल की दुकान पर पहुंचा और उपद्रवियों को रोका। मामला शांत हो गया। बाद में, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, शाम लगभग 5:45 बजे, विभिन्न इलाकों से लगभग 5-6 व्यक्ति मृतक की दुकान के पास आए। आपस में बात करते थे और वहाँ से भाग गए। शाम करीब 6 बजे फिर से, अपीलकर्ता/जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ मिठाई, मुन्नार सोनार (एक भगोड़ा) और तीन अन्य मुखबिर की मोबाइल दुकान पर आए और जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ मिठाई और मुन्ना सोनार ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए, पीडब्लू3 ने खुद को डेस्क के पीछे छिपा लिया। मृतक विकास कुमार गुप्ता के साथ अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। दुकान में सतीश कुमार और विनय कुमार भी मौजूद थे। सूचक ने आगे आरोप लगाया है कि अपीलार्थी/जितेंद्र कुमार @ जितेंद्र कुमार चौधरी @मिठाई मृतक के पास पहुंचे और अपने हथियार से करीब से गोली चला दी। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए। पीड़ित को आरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। पी. एम. सी. एच. जाते समय रास्ते में मृतक ने दम तोड़ दिया।

7. पूर्व-उल्लेखित फ़र्दबेयान के आधार पर आरा टाउन थाना केस नंबर 253/2015 दिनांक 05.06.2015 अनुसंधान हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया।

8. उल्लेखनीय है कि विकास कुमार गुप्ता, सनी, धनंजय पंडित और उनके बड़े भाई, जिससे अपराध कर्मियों ने पूर्व के लड़ाई थी, सतीश कुमार और विनय कुमार से मुकदमे में कभी पूछताछ नहीं की गई।

9. यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिकी पर मृतक के चाचाओं में से एक जितेंद्र यादव ने हस्ताक्षर किए थे, जिनके बारे में पीडब्लू 3 ने प्राथमिकी में कुछ नहीं कहा है। प्राथमिकी का दूसरा हस्ताक्षरकर्ता मृतक का एक कर्मचारी विकास कुमार गुप्ता है, जो घटना के समय मृतक के करीब खड़ा था और जिसकी भी मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई है।

10. इन तथ्यों का उल्लेख केवल यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में कहानी को उजागर और उद्भेदन कर सकते थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है; कारण हमारे लिए अज्ञात है।

11. मृतक की मौत दो गोलियों से हुई थी। उनके सिर में चोट लगी थी। उसी दिन रात 9.25 बजे शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, जो तथ्य मो. मोईबुल हक अंसारी, डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण (शव परीक्षण चार्ट (साक्ष्य. 2/1) पोस्टमॉर्टम किया था के व्यान से पता चलता है, हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर में कब लाया गया था और किस समय, पोस्टमॉर्टम जांच शुरू हुई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाई गई समयसीमा से कि प्राथमिकी की अभिलेखवद्व प्रक्रिया और शव परीक्षा लगभग समकालीन थी।

12. इसलिए, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संदर्भ लिया गया था कि बिना किसी कारण के नहीं, मृत्यु समीक्षा प्रतिवदेन को कभी भी अभिलेख पर नहीं लाया गया था।

13. अन्वेषक (पीडब्लू5) के बयान के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले लगभग रात 8:40 बजे थाना कि प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व मृत्यु समीक्षा की गई थी। चूँकि मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं है और हम समयसीमा को देखने के इच्छुक थे, इसलिए हमने इसे पुलिस के दस्तावेजों से देखा और यह स्पष्ट था कि जाँच रिपोर्ट में आवश्यक विवरण अर्थात्, जिन व्यक्तियों ने मृतक की हत्या की थी और मृत्यु समीक्षा कार्यवाही शुरू करने से पहले प्राथमिकी का पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

14. अभियोजन पक्ष के द्वारा पहली जानकारी जो घटना के संबंध में थाना में अन्वेषक को प्राप्त हुई थी, को अभिलेख लाने में हुई चूक समान रुप से महत्वपूर्ण होगा। यह प्राथमिकी की रिकॉर्डिंग से पहले की थी। जानकारी, यदि मुकदमे के दौरान प्रकट होती है, तो निश्चित रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को कुछ निश्चितता देती। इसके अलावा, हमने यह भी देखा है कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जो मृतक की मोबाइल की दुकान है, लेकिन अन्वेषक ने पुलिस के कागजात में किसी भी खून की उपस्थिति या उस जगह को निश्चित करने के बारे में दर्ज करना आवश्यक नहीं समझा जहां हत्या हुई थी, यानी कि मृतक को उसकी दुकान के बाहर या दुकान के अंदर गोली मारी गई थी। हालांकि, जांच रिपोर्ट के साथ समकालीन, एक जब्ती सूची है (प्रदर्श 4), जो दर्शाता है कि घटना स्थल से दो खाली/इस्तेमाल किए गए कारतुस बरामद किए गए थे। इन सभी तथ्यों को हमारे द्वारा नोट किया गया है और यहाँ इस कारण से कहा गया है क्योंकि समयसीमा और इसलिए, अपीलार्थियों के सुझाए गए नामों के बारे में कुछ संदेह प्रतीत होता है।

15. इसका आगे परीक्षण करने के लिए, हमने सूचक/लोकेश कुमार यादव पी डब्लू-3 के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की है। जो कि प्राथमिकी के अनुसार, इस घटना के गवाह हैं। पीडब्लू 3 का यह बयान कि वह गोलीबारी की चपेट में आने से बचने के लिए बैठ गया था, मृत्यु की पहचान करने के सम्बन्ध में इसकी कहानी को थोडा संदिग्ध बनाया है कि

अपीलकर्ता जितेन्द्र सिंह उर्फ जितेन्द्र कुमार चौधरी उर्फ मिठाई ने मृतक को करीब से गोली मारी थी।

16. हम ऐसा इस कारण से भी कहते हैं कि हालांकि मृतक को दो बार मारा गया था, लेकिन कोई निकास घाव नहीं था और घाव पर कोई जलन या कोई कालिख नहीं थी। पूरी खोपड़ी क्षत-विक्षत हो गया था। बदमाशों ने बाहर से गोलीबारी शुरू कर दी थी। यदि पी. डब्ल्यू. 3 और कई अन्य, जिनका नाम ऊपर दिया गया है, खुद को बचाने के लिए बंदी के पास पकड़े जाते हैं, तो यह असामान्य प्रतीत होता है कि मृतक दुकान के बाहर खड़ा होता और उपद्रवियों के लिए बैठा रहता या गोली का शिकार होता। इसके अलावा, हमने यह भी पाया है कि पी. डब्ल्यू. 3 की गवाही अर्तभेदों से भरा हुआ है जो स्पष्ट नहीं है और इसलिए, संदेहास्पद हो।

17. निचली अदालत में अपने स्वयं के बयान में पीडब्लू 3 ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी/जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ मिठाई, मुन्ना सोनार (एक भगोड़ा) और अपीलार्थी/मुन्ना तिवारी और संतोष कुमार राय उर्फ राजू राय ने घटना के दिन दोपहर करीब 2:30 बजे धनंजय पंडित और उनके भाई के साथ लड़ाई की थी।

18. पी. डब्ल्यू. 3 कभी भी पूर्व-उल्लिखित लडाई का गवाह नहीं था क्योंकि असली लड़ाई एक घंटे बाद शुरू हुई थी जब उपद्रवियों द्वारा किया गया पथराव मृतक की दुकान के शटर से भी टकरा गया था। यह वह समय था जब एफ. आई. आर. पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक, विकास कुमार गुप्ता ने मृतक को घटना के बारे में सूचित किया। तभी मृतक पी. डब्ल्यू. 3 और अन्य लोगों के साथ दुकान पर आया और उपद्रवियों के साथ युद्धविराम किया।

19. इसलिए, धनंजय पंडित के साथ लड़ रहे अपीलार्थियों के बारे में पी. डब्ल्यू. 3 का प्रारंभिक आरोप या उसके सैलून में उसका भाई कुछ ऐसा है जिसकी पुष्टि पी. डब्ल्यू. 3 ने

नहीं की होगी। मुख्य प्रतिपरीक्ष के अपने बाद के हिस्से में, उन्होंने कहा है कि बदमाश दो वाहनों पर आए थे, जिनमें से एक का उपयोग अपीलकर्ताओं/जितेंद्र यादव उर्फ मिठाई और मुन्ना सोनार द्वारा किया गया था, जबकि दूसरा दो अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया था। पीडब्लू 3 के अनुसार, गोलीबारी का सहारा अपीलार्थी/जितेंद्र यादव @मिठाई और उपरोक्त मुन्ना सोनार (एक भगोड़ा) ने लिया था। मृतक पर विशिष्ट हमला अपीलार्थी/जितेंद्र यादव @मिठाई द्वारा किया गया था।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह संदेहपूर्ण प्रतीत होता है कि पी. डब्ल्यू. 3 वहां धटनास्थल पर मौजूद था। हमें उनकी उपस्थिति पर संदेह करने का कारण और उनके घटना के गवाह होने का कारण न केवल उनके बयान में अंतराल है, बल्कि रंजीत कुमार और जितेंद्र यादव क्रमश, डब्ल्यू. क्रमशः 1 और 2 के कारण भी है जिन्होने विचारण न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि सूचना देने वाला (पीडब्लू 3) मृतक के साथ अस्पताल नहीं गया था। यह आश्वस्त करता हे कि . डब्ल्यू. 3 घर में मौजूद थे जब मृतक के मामा रंजीत कुमार अपनी बहन के कहने पर लगभग 06:00 बजे घर आए थे। जब उसे पता चला कि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई है। बाद में उन्हें हमलावरों के बारे में पता चला। यदि पीडब्लू 3 हमलावरों के बारे में जानता था, तो कोई कारण नहीं था कि उनके नाम जांच कार्यवाही में या पुलिस के समक्ष उनके बयानों में या उस मामले के लिए दो अन्य अपीलार्थियों, मुन्ना तिवारी और संतोष कुमार राय उर्फ राजू राय के नाम प्राथमिकी में नहीं बताए गए थे।

21. फरदबेयान 9:26 बजे अपराह्न में बजे दर्ज किया गया था।

22. हम पी. डब्ल्यू. 3 के दावे को केवल अपीलकर्ताओं/मुन्ना तिवारी और संतोष कुमार राय उर्फ राजू राय के नामों की फर्दव्यान अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार नहीं करते

हैं, बल्कि साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन पर अस्वीकार करते हैं, जो अभियोजन पक्ष के बयान की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

23. मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन एक दस्तावेज था यदि पी. डब्ल्यू. 3 ने वास्तव में घटना को देखा होता तो घटना के समय और हमलावरों के नामों के संबंध में विवरण को साफ कर दिया होता।

24. विकास कुमार गुप्ता, सनी और दो अन्य, जिनके बारे में कहा गया था कि वे धटनास्थल में थे, उनसे मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई थी। उस घटना में, केवल पीडब्लू 3 और जितेंद्र यादव, मृतक के एक चाचा और जिनके बारे में फरदबेयान में कोई संदर्भ नहीं है, घटना के उपलब्ध तथाकथित चश्मदीद गवाह हैं।

25. जितेंद्र यादव का दावा है कि जब गोलीबारी हुई तब वह दुकान के सामने खड़ा था क्योंकि वह अपने मोबाइल टेलीफोन की मरम्मत करा रहा था। वह चोट लगने से कैसे बच गया? उसने अपने भतीजे को बचाने के लिए क्या किया?

26. ये सभी तथ्य गुप्त रखे गए हैं। अन्यथा भी, वह दावा करता है कि वह आरा के स्थानीय अस्पताल गया था, जहाँ मृतक को प्राथमिक चिकित्सा उपचार जब वह जीवित था दिया गया था, 15 मिनट तक जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया। वह मृतक के साथ सदर अस्पताल से पी.एम.सी.एच. तक गया था और बीच रास्ते में सदर अस्पताल वापस चला गया था, जब मृतक की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मृतक को अस्पताल ले जाते समय अपने साथ रहने के लिए तीन व्यक्तियों (जिनमें से किसी की भी सुनवाई में जांच नहीं की गई है) का नाम लिया है। उस समय तक हमलावरों के नामों की कोई फुसफुसाहट नहीं थी। यहाँ तक कि जाँचकर्ता भी अस्पताल जाने और पूरे समय वहाँ रहने का दावा करता है। यह स्पष्ट रूप से 09:26 अपराहन से पहले था जब फरदबेयान रिकॉर्ड किया गया था।

27. हम फरदबेयान की रिकॉर्डिंग में किसी भी देरी का संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल उन परिस्थितियों को उजागर कर रहे हैं जहां देर रात, फरदबेयान को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक अपीलार्थी का नाम लिया गया था और दो अन्य अज्ञात थे। यदि पी. डब्ल्यू. 3, या उस मामले के लिए पी. डब्ल्यू. 2, घटना के गवाह होते, तो ऐसा नहीं होता।

28. उस परिदृश्य से जो प्रकट होता है। अपीलार्थियों के खिलाफ पूरी सामग्री का अवलोकन करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों 02:30 बजे अपराह्न धनंजय पंडित और उनके भाई के साथ लडाई लड़ी एक घंटे बाद, वे किसी तरह के प्रतिशोध के लिए वापस आ गए हैं। यह उस समय था जब पीडब्लू 3 के कर्मचारियों में से एक विकास कुमार गुप्ता ने मृतक को घटना के बारे में सूचित किया। समस्या का समाधान किया गया। बदमाश चले गए थे। मृतक या सूचक की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

29. संभवतः किस बात ने अपीलार्थियों को क्रोधित किया होगा?

30. इसके बाद, पांच से छह लोग फिर से धनंजय पंडित के सैलून के पास जमा हो गए। किसी भी गवाह ने उनकी पहचान नहीं की है। वे आपस में बात करने लगे और फिर भाग गए। यह तब है जब अपीलार्थी/जितेंद्र यादव @मिठाई और मुन्ना (एक भगोड़ा) और दो अन्य अपीलार्थी घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्त व्यक्तियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

31. इसलिए, यह दर्शाता है कि शायद अपीलार्थी/जितेंद्र और अन्य को पी. डब्ल्यू. 3 या शायद पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा देखा गया होगा, लेकिन केवल 02:30 बजे अपराह्न और उसके बाद जब वे फिर से आए थे। बाद में, समूह में कोई और हो सकता है जिसने गोलीबारी का सहारा लिया हो या कम से कम इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि अपीलार्थी लूटपाट करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।

32. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने समर्पित किया है कि मुकदमे में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष की विफलता, जिसके बारे में गवाहों द्वारा पुष्टि की गई है, अटकलों के लिए बहुत जगह छोड़ती है। इसके अतिरिक्त, यह एक प्रतिकूल निष्कर्ष को जन्म देता है कि यदि इसे प्रस्तुत किया गया होता, तो यह मामले को गलत साबित कर देता अभियोजन (***शेख मेहबूब @हेतक और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2005 (10) एस. सी. सी. 387*** का संदर्भ लें)।

33. अभियोजन पक्ष की कहानी हालांकि एक चश्मदीद गवाह के गवाही पर आधारित प्रतीत होती है, लेकिन उस गवाह के बयान से गंभीर संदेह पैदा होता है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अस्पष्टीकृत परिस्थितियाँ छोड़ती हैं, जिन्होंने हमारे मन में एक उचित संदेह पैदा किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के कठिन बोझ को पूरी तरह से निर्वहन है।

34. यह आगे समर्पित किया गया है कि आपराधिक मामले में और विशेष रूप से हत्या के मामले में प्राथमिकी मुकदमे में रखे गए साक्ष्य की सराहना के उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान सबूत है। प्राथमिकी शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उस परिस्थिति के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिसमें अपराध किया गया था, जिसमें वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, हथियार, यदि कोई हो, और चश्मदीद गवाहों के नाम, यदि कोई हो, शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर दोषारोपण होते हैं जो अक्सर बाद में सोचे गए विचार का परिणाम होता है। देरी के कारण, प्राथमिकी न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है। साथ ही बनावटी संस्करण अथवा बढ़ा चढ़ाकर बनायी गई कहानी का भी खतरा शामिल हो जाता है।

35. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राथमिकी उस समय दर्ज की गई थी जब इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों की तलाश करती हैं और एक बार इस तरह की जाँच मृत्यु समीक्षा और गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग होगी, जिन्होंने शायद घटना को देखा था (***मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** का उल्लेख करें ***1994 (5) एस. सी. सी 188***)।

36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2007(13) एस सी सी 501*** के मामले में भी इसी तरह की चेतावनी दी है। कि यदि अभियोजन पक्ष के संस्करण की शुद्धता की बाहरी जांच के परिणामस्वरूप सत्यापन विफल हो जाता है, तो इसे साक्ष्य की सराहना करने वाले न्यायालयों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए (यह भी देखें - ***राजस्थान राज्य बनाम तेजा सिंह; 2001 (3) एससीसी 147***)।

37. इस प्रकार, तारों को एक साथ बांधने के लिए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने समर्पित किया है कि पी. डब्ल्यू. 3 के फरदबेयान में अपीलार्थियों/मुन्ना तिवारी और संतोष कुमार राय @राजू राय के नाम की अनुपस्थिति। जो घटना का चश्मदीद गवाह है; जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत न करना; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नजदीक से गोली चलाने की चश्मदीद की गवाही के अनुरूप नहीं है; और अन्वेषक पूरी तरह से इस बात से इनकार करता है कि उसे परिस्थितियों के बारे में बताया गया था, जो उपद्रवियों के दो मोटरसाइकिलों पर आने की बात थी इन कारणों से से अभियोजन पक्ष का मामला लड़खड़ाता है।

38. हमने पी. डब्ल्यू. 2 और 3 के तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी विवरण को स्वीकार करने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों की भी जांच की है एवं पाया कि शायद विचारण न्यायालय ने कई उचित संदेहों को गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया और भले ही वह उस अंधेरे स्थान में प्रवेश नहीं कर सका जिसने सच्चाई को ग्रहण कर लिया था, उसने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज की और उन्हें सजा सुनाई।

39. हमारे पास अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

40. इस प्रकार निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

41. अपीलार्थी आरोपों से बरी हो जाते हैं।

42. सभी अपीलों को स्वीकृत किया जाता है।

43. चूँकि सभी अपीलार्थी जेल में हैं। उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी अभिरक्षा की आवश्यकता न हो।

44. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

45. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

46. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

सुनीलकुमार/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।